न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/27/2025 दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. मु० जमनीबाई पुत्री ऊँकार भील, आयु वयस्क नि० दांता, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादी

बनाम

1. शंकरी पत्नी माधू भील आयु वयस्क नि० शम्भूपुरा (बुरियों का खेड़ा), तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 07.01.2026

—:निर्णयः—

वादीया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि ग्राम दांता, तहसील कपासन में ऊंकार पिता कजोड़ भील, नि० दांता के खातेदारी की कृषि आराजीयात नम्बर 1633 रकबा 0.25 हैक्ट0, 1634 रकबा 0.79 हैक्ट0, 1676 रकबा 0.27 हैक्ट0, 1677 रकबा 0.08 हैक्ट0, 1697 रकबा 0.01 हैक्ट0, 1698 मी0 रकवा 0.12 हैक्ट0, 1699 रकबा 0.33 हैक्ट0, 1700 रकबा 0.37 हैक्ट0, 1701 रकबा 0.03 हैक्ट0, कुल कीता 9, कुल रकबा 2.25 हैक्ट0 स्थित हैं।

यह कि खातेदार ऊंकारजी की मृत्यु दि० 17/7/2006 को हो गई हैं और वादीया मृत्तक ऊंकारजी की पुत्री हैं व प्रतिवादी नं० 1 मु0 शंकरी भी मृतक ऊंकारजी की पुत्री है, तथा विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल ग्राम शम्भुपुरा में ही रह रही हैं, उंकारजी व उनकी पत्नी की जीवनपर्यन्त–सेवाचाकरी, देखभाल तथा आराजीयात जैरबहस पर काश्त व देखभाल वादीया ही करती थी व उंकारजी के साथ उनके घर में ही रहती आई हैं तथा ऊंकारजी की मृत्यु के पश्चात भी उनका काज–करियावर व सभी सामाजिक खर्चा भी वादीया ने किया हैं, उंकारजी ने वादीया की सेवाचाकरी से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल में ही कोई जायन्दा–पुत्र नहीं होने से वादीया के पक्ष में दि० 10/8/2004 को एक वसीयतनामा अपनी समस्त चल–अचल सम्पति, मकान व जैरबहस–आराजीयात बाबत निष्पादित कर पंजीयन करा दिया। इस प्रकार ऊंकारजी की मृत्यु के पश्चात अब वादीया जैरबहस–आराजीयात की खातेदार होकर काबिज है।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 का जैर बहस आराजीयात में कोई हक–हिस्सा व कब्जा नहीं है तथा वह अपने ससुराल में रहती हैं व उसके विवाह के समय उसको काफी जर–जेवर व नकद राशी देकर उसका मृतक ऊंकारजी की सम्पति में कोई हिस्सा नहीं रखा था व बाद मैं भी उसको नकद–राशी व सामान दिया, इसके बावजूद भी प्रतिवादीया ने पुनः मृत्तक उंकारजी की जमीन में से हिस्सा देने की मांग की व दावा किया तथा ऊंकारजी ने इसके बावजूद प्रतिवादीया को अपनी पुत्री होने के नाते सन् 2001 में ही अपनी आनं0 1546 रकबा 0.65 हैक्ट0 जरिये रजिस्टर्ड – बक्षीसनामा दे दी तथा प्रतिवादीया ने इस न्यायालय में जो दावा कर रखा था उसमें राजीनामा कर लिया व ऊंकारजी के पक्ष में प्रतिवादीया ने दि0 24/8/2001 को स्टाम्प पर एक ईकरारनामा लिखा नोटेरी–पब्लिक से तस्दीक करा दे दिया व उक्त ईकरार में भी उसने उक्त आ0नं0 1546 प्राप्त कर लेने व इसके

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अलावा उकारजी के पास जो मकान– आराजीयात आदि सम्पति हैं उसमें कोई हक – हिस्सा अपना नहीं रखना स्वीकार किया तथा ऊंकारजी द्वारा उक्त सम्पति उनकी ईच्छानुसार किसी को भी देने पर कोई एतराज नहीं करना स्वीकार किया, इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 का उंकारजी की उक्त जैर बहस – आराजीयात में कोई हक – हिस्सा बाकी नहीं रहा हैं।

इस प्रकार उक्त वसीयतनामा के जरिये जैरबहस – आराजीयात की वादीया एकमात्र खातेदार हैं तथा काबिज हैं और प्रतिवादी नं० 1 का इस पर कोई हक व कब्जा नहीं हैं, मगर राजस्व – रेकॉर्ड में उक्त आराजीयात ऊंकारजी के नाम पर ही अंकित हैं जो गलत हैं और उनके स्थान पर वादीया का नाम खातेदार के रूप में अंकित किए जाने की घोषणा किया जाना व रेकॉर्ड में भी वादीया का नाम अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि वादीया ने ऊंकारजी की मृत्यु के बाद तहसील कपासन में जैरबहस – आराजीयात अपने नाम पर अंकित कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया मगर प्रतिवादी नं० 1 ने विरोध किया प्रकरण स्वत्व व अधिकारों से सम्बन्धित होने से प्रतिवादी नं0 2 तहसीलदार सा० ने विधिक–वारीसों की जाँच कर ईन्तकाल खोलने का निर्णय उक्त मु0नं0 10/07 मैं दिनांक 27/11/2007 को किया, मगर उक्त निर्णय भी सही नहीं हैं चूंकि पक्षकारों कै विवादित – हक व हितों का निर्णय नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में किया जाना संभव नहीं हैं और उक्त निर्धारण केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही विधिवत साक्ष्य–सबूत लेकर किया जा सकता हैं अतः यह वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय सें प्रस्तुत किया जा रहा हैं, तथा तहसील कपासन द्वारा उक्त आराजीयात के ईन्तकाल के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त कार्यवाही की जा रही हैं उसको भी जरिये निषेधाज्ञा के रोका जाना न्यायोचित हैं।

यह कि प्रतिवादी नं0 1 ने ऊंकारजी से प्राप्त उक्त आ० नं० 1546 भी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर रूपया प्राप्त कर लिया है और अब पुनः जमीन प्राप्त कर रूपया ऐंठने के दुराशय से ही प्रतिवादीया ने वादीया के नाम पर आराजीयात अंकित होने का विरोध किया है अतः तहसील के निर्णय की दि० 27/11/2007 से बिनाय दावा वादीया को पैदा हुई है व वाद पेश किया जा रहा है।.

अतः वादीया की प्रार्थना हैं कि– यह कि वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावे कि वादपत्र की कालम नं० 1 में वर्णित आराजीयात जो मृत्तक उंकारजी के नाम पर अंकित हैं वह गलत हैं और वादीया इसकी खातेदार काश्तकार होकर काबिज हैं अतः राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर मृतक ऊँकारजी के स्थान पर वादीया का नाम खातेदारी काश्तकार के रूप में अंकित किया जावें।

यह कि वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई– निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि जैर बहस आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तकरण की जो कार्यवाही तहसील कपासन में जारी हैं उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया को वादपत्र के निर्णय तक स्थगित रखी जावे व निर्णय/डिक्री के अनुरूप ही ईन्तकाल खोला जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 मु० शंकरी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–

1. वादपत्र की चरण संख्या एक में आराजीयात स्थित होना स्वीकार है। आराजीयात प्रतिवादीया न० एक के पिता श्री ऊँकार जी के तनाह खातेदारी की होना गलत है विवादित आराजीयात मौरूसी होकर प्रतिवादीया शंकरी के पितामह कजोड जी के समय से है। स्वर्गीय श्री ऊँकार पिता कजोड के खातेदारी की होना गलत है।

2. वादपत्र की चरण संख्या दो में मु० शंकरी ऊँकार जी की पुत्री होना स्वीकार है शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नही। वादीया श्री ऊँकार जी की पुत्री नही है वादीया श्री रूपलाल पिता भुरा भील निवासी कोलपुरा तहसील कपासन की पुत्री है। वादीया द्वारा ऊँकार व उनकी पत्नी की जीवन पर्यन्त सेवा चाकरी, देखभाल करना, विवादित आराजीयात पर काश्त करना देखभाल करना गलत है सभी तथ्य मनगढन्त अंकित किये है ऊँकार जी के साथ रहना भी गलत है। श्री

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

ऊँकार जी की मृत्यु के बाद उनका काज करियावर, सामाजिक कार्य आदि वादीया द्वारा करना गलत है। वादीया के पक्ष में सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर दिनांक 10/8/2004 को स्व. ऊँकार जी द्वारा वसीयत करना गलत है वसीयत नामा अवैध है। ऊँकार जी की मौरूसी जायदाद को वसीयत करने का कोई अधिकार भी नही था विवादित आराजीयात प्रतिवादीया शंकरी के कब्जे काश्त में होकर उसके खाते दर्ज है। तथाकथित वसीयतनामा स्वअर्जित चल–अचल सम्पति का है।

3. वाद पत्र की चरण संख्या तीन में आराजी नम्बर 1546 का प्रतिवादीया शंकरी के हक में बक्षीश करना स्वीकार है शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं। विवादित आराजीयात में प्रतिवादीया शंकरी का हक हिस्सा व कब्जा नही होना गलत है व उसका ससुराल में ही रहना गलत है विवाह के समय व बाद में जर–जेवर व नकदी सामान आदि देना गलत है और विवादित सम्पति में कोई हक हिस्सा नही रखना भी गलत हैं इकरारनामा लिखाकर देना भी गलत है तथाकथित इकरार में हक हिस्सा नही होने की बात लिखना गलत है तथाकथित इकरार अवैध है अनरजिस्टर्ड है जो साक्ष्य में ग्राहय नही है विवादित आराजीयात मौरूसी है और प्रतिवादीया शंकरी के ही हिस्से कब्जे की है। वादीया का कोई हक हिस्सा नही है।

4. वाद पत्र की चरण संख्या चार गलत होने से स्वीकार नही। विवादित आराजीयात पर वादीया का एक मात्र खातेदार होना और काबिज होना गलत होने से स्वीकार नहीं। और प्रतिवादी नं0 एक का विवादित आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही होना गलत होने से स्वीकार नहीं। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में ऊँकार जी के नाम पर अंकित होना भी गलत है। वादीया खातेदार होने की अधिकारीणी नही है व रेकॉर्ड दूरस्ती को आवश्यकता नहीं हैं। विवादित आराजीयात मौरूसी होकर ऊँकार जी से भी पहले पूर्वजो के समय से चली आ रही है। विवादित आराजीयात मु0 शंकरी के खातेदारी एवं कब्जे में है।

5. वाद पत्र की चरण संख्या पाँच गलत होने से स्वीकार नही। वादीया द्वारा तहसील कपासन में तथाकथित वसीयतनामें के आधार पर खाते दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो तहसील दार साहब कपासन ने साक्ष्य सबुत लेकर दोनो पक्षों को सुनकर विधिवत कार्यवाही कर वादीया का प्रार्थना पत्र तथाकथित वसीयतनामा स्वअर्जित सम्पति का होने से खारिज किया। और स्वर्गीय ऊँकार जी को पुत्री शंकरी विधिक उत्तराधिकारी होने से विवादित आराजीयात मु० शंकरी के खाते दर्ज की गई। वादीया को प्रतिवादीया शंकरी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है।

6. वाद पच की चरण संख्या छः गलत होने से स्वीकार नही। वादीया को कोई बिनाय दावा पैदा नही होती है। वादीया को तहसीलदार सा० कपासन की कार्यवाही का कोई एतराज था तो सक्षम न्यायालय में अपील पेश करना था।

7. वाद पत्र की चरण संख्या सात स्वीकार नही।

8. वाद पत्र की चरण संख्या आठ अदालत के विचारणीय है।

9. वाद पत्र की चरण संख्या नौ में सरकार को पत्रकार बनाना स्वीकार है मगर सरकार के खिलाफ बिना नोटिस वाद पेश किया जो चलने योग्य नही है।

10. वाद पत्र की चरण संख्या दस प्रार्थना वादीया गलत होने से स्वीकार नही। वादीया किसी प्रकार की दाद पाने की हकदार नही है।

विशेष–कथन

विवादित आराजीयात मौरूसी है तथाकथित वसीयतनामा स्वअर्जित सम्पति का है मौरूसी सम्पति को वसीयत करने का ऊंकार जी को कोई अधिकार नही है जिससे यह वाद चलने योग्य नही है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

प्रकरण में तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादीया व प्रतिवादी 1 के पिता ऊंकार ने वादीया के पक्ष में 10.8.04 को वसीयतनामा निष्पादित कर दिया जिसके आधार पर ऊंकार की सभी भूमियों के वादिया ही हकदार है ?

–जिम्मेवादीया

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 को ऊंकार ने उसके जीवनकाल में ही आराजी नं0 1546 बक्षीस कर दी और प्रतिवादी संख्या 1 ने 24.08.2001 को इकरारनामा निष्पादित कर प्रतिवादी संख्या 1 ने शेष सम्पत्ति से अपना हक छोड दिया?

–जिम्मेवादीया

3. आया तथाकथित वसीयतनामा पर ऊंकार ने मौरूसी संपत्ति वसीयत नही की और आया ऊंकार को मौरूसी संपत्ति वसीयत करने का अधिकार नही था?

–जिम्मेप्रतिवादीया

4. आया वादीया घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की अधिकारी है?

–जिम्मेवादीया

5. दादरसी

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 30.07.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में पूर्व में वादीया मु0 जमनी बाई का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर जमाबन्दी प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–3ए, वसीयतनामा की फोटोप्रति प्रदर्श–4ए, तहसीलदार कपासन के प्र0सं0 10/07 के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, इकरारनामा दिनांक 24.08.2001 प्रदर्श–6ए है। वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शा0फा0 है।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज, शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः तनकी अनुसार निर्णय निम्नानुसार है–

<u>तनकी संख्या 1</u> आया वादीया व प्रतिवादी 1 के पिता ऊंकार ने वादीया के पक्ष में 10.8.04 को वसीयतनामा निष्पादित कर दिया जिसके आधार पर ऊंकार की सभी भूमियों के वादिया ही हकदार है ? उक्त तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादीया का था। उक्त तनकी को साबित कराने हेतु साक्ष्यवादी में वादीया ने PW-1 वादीया ने बयान प्रस्तुत किये व वसीयत नामा प्रदर्श– 4ए अंकन कराया। परन्तु वसीयत के आधार पर पिता को विरासत से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति को किसी एक सन्तान को प्रदान किया जाना न्यायसंगत नही है। तहसीलदार कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2007 जो कि प्रदर्श–5 है में मृत्तक उंकार के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दायर किये जाने का आदेश भी उचित प्रतीत होता है, अतः केवल वसीयत के आधार पर पैतृक सम्पत्ति के हक अधिकार किसी एक सन्तान को नही दिया जा सकता है अतः तनकी संख्या 1 वादीया अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रही।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

तनकी संख्या 2 आया प्रतिवादी संख्या 1 को ऊंकार ने उसके जीवनकाल में ही आराजी नं0 1546 बक्षीस कर दी और प्रतिवादी संख्या 1 ने 24.08.2001 को इकरारनामा निष्पादित कर प्रतिवादी संख्या 1 ने शेष सम्पत्ति से अपना हक छोड दिया? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादीया का था। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो कि प्रदर्श–6ए है के अवलोकन से उक्त अनरजिस्टर्ड इकरारनामा से सम्पत्ति का हक छोडा जाना कानूनी रूप से वैद्य प्रतीत नही होता है। व वादीया द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड हकतर्क नामा प्रस्तुत किया गया है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादीया द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा छोड दिया गया है, अतः उक्त तनकी को सिद्ध कराने में वादीया असफल रही।

तनकी संख्या 3 आया तथाकथित वसीयतनामा पर ऊंकार ने मौरूसी संपत्ति वसीयत नही की और आया ऊंकार को मौरूसी संपत्ति वसीयत करने का अधिकार नही था? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 का था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नही किये है व एकतरफा कार्यवाही की गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

तनकी संख्या 4 आया वादीया घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की अधिकारी है? उक्त तनकी को सिद्ध कराने का जिम्मा वादीया का था। वादीया द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 सिद्ध नही कराने से उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नही किये है व एकतरफा कार्यवाही की गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में निवेदन किया गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उत्तराधिकार के नियम इस प्रकरण में लागू नही होते हैं चुंकि पक्षकारान भील जाति के हैं जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है तथा उक्त एक्ट की धारा–2(2) में स्पष्ट उल्लेख हैं कि इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगे। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमायी जावें। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। लिखित बहस का अवलोकन किया। वादीया द्वारा तनकी संख्या 1, 2, व 4 सिद्ध कराये जाने में असफल रहने से वादीया अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रही। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्टट्रेक), कपासन